

15/9/25 फलावली पेशा हुई। जाची व अजाची मय
अधिवक्ता अनुपास्थित ही जाची मय अधिवक्ता
को सुनवाई के कई अवसर दिये जाने के
बावजूद भी न्यायालय में अनुपास्थित ही
गत 6 तारीक पेशी पर अनुपास्थित रहे ही

हुकम या कार्यवा इ
इही मय इनिशियल्स जज
T.T.

गणपत कान्नापुल

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

पार्सी व पार्सी के अधिवक्ता को न्यायालय
में बारा-बार करू - करू आवाज
दिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक
कोई भी उपाधि नहीं आये। अतः पार्सी
का पार्सीता पत्र अइम हाजरी व अइम
पैरवी में स्वारिज लिया जाता है। प्रकरण,
मैसल सुमाए लोक नक्का से कम है
तथा लम्हा दाखिल है।

Dismiss in
default under
CPC order 9 rule 3

उपखण्ड अधिकारी
संथल